EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1031—1034

Dated 13-8-2011

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 232.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) लेखा अधिकारी समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति,—

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखा अधिकारी	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. (ग्रेड वेतन 4600 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :– (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहें हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित में कोई एक अर्हता रखते हों :– (i) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो या समतुल्य और रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 या वह तारीख जिसको हुई केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थाई ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन/वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया हो और जहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों)को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. ए-12018/1/2009-ई-1]

ललित कुमार शर्मा, अवर सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2011

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Accounts Officer Group 'B' post Recruitment Rules, 1997 except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Accounts Officer Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spuse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs. 4600)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion/deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By deputation	**Deputation:** Officers under the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing any one of the following qualification :— (i) a pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Departments of the Central Government; OR (ii) successful completion of training in the cash and accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and two years experience in cash, accounts and budget work. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/ pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A-12018/1/2009-E. I]

L. K. SHARMA, Under Secy.

MGIPRRND—3790 C&I/11—100 Copies.